अखिल भारतीय कामगार महिला समन्वय समिति (सीटू)

पत्रिका

अप्रैल 2004 केवल सदस्यों के लिए मूल्य : 2 रुपये

धोखेबाजों को बेनकाब करो और उनकी हार यकीनी बनाओ!

चौदहवीं लोक सभा का चुनाव करने के लिये देश में अप्रैल तथा मई में चुनाव होने जा रहे हैं। इसी पश्ष्ठभूमि में देश के श्रमिक आंदोलन को अपने कार्यों का निर्धारण करना होगा।

भाजपा देश की जनता को धोखे में रख कर सत्ता की कुर्सी पर आसीन हुई थी। उसने अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिये फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई है। वे चालबाजियों से काम लेते रहे और लोगों में साम्प्रदायिक वैमनस्य पैदा करते चले जाने के मार्ग पर चलते रहे; इस प्रकार वे पूरे पांच वर्षों तक देश के शासन की डोर अपने हाथों में रखने में सफल रहे हैं। अब क्योंकि आगामी चुनाव सिर पर आ गए हैं इसलिये उन्होंने धोखेबाजी के अपने उसी पुराने पैंतड़े को अपना लिया है जिसके सहारे वे सत्ता की कुर्सी तक पहुंचे थे। एक ओर वे झूठ और कपट से भरे प्रचार अभियान को जोर शोर से चला रहे हैं तथा दूसरी ओर साम्प्रदायिक भावनाओं को भड़का रहे हैं ताकि वे किसी न किसी प्रकार एक बार फिर से राजनीतिक सत्ता पर काबिज हो सकें।

भाजपा की अगुवाई में चल रहे सुशासन के पिछले पांच वर्ष चहुंमुखी गिरावट हैं; इस दौरान सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कशतिक मूल्यों का बंटाधार हुआ है; इसके साथ ही आर्थिक मोर्चे पर बर्बादी का मंजर साफ दिखाई देने लगा है। इसके चलते भाजपा की अगुवाई वाले गठबंधन की पोल खुल चुकी है और वह राष्ट्र तथा देश की जनता का दुश्मन साबित हुआ है। बढ़ती ही चली जा रही रोजगारहीनता तथा बेरोजगारी, बद से बदतर होती जा रही गरीबी की हालत, उद्योगों में बुरी तरह फैली बीमारी तथा कामबंदी, ठेके द्रेने तथा सरकारी सामान खरीदने के मामले में अंतहीन भ्रष्टाचार और निजीकरण के पहले से कहीं बड़े घोटाले भाजपा की अगुवाई में चल रहे कुशासन के 'चमत्कारों' को उजागर करने के लिये काफी हैं।

भाजपाई जुंडली ने सामाजिक तथा राजनीतिक मोर्चे पर भी सोचे समझे ढंग से घटिया चालें चली हैं; उन्होंने मानव जीवन को ही खतरे में डाल दिया है; साम्प्रदायिक दंगों के लिये आधार तैयार कर दिया है; मतदाताओं का साम्प्रदायिकता के आधार ध्रुवीकरण किया है। गुजरात के साम्प्रदायिक दंगे जिनमें गोधरा का जघन्य कांड भी शामिल है, के पीछे संघ परिवार के घटक संगठनों का हाथ साफ दिखाई देता है; ये रक्तिम कार्रवाईयां इसलिये कराई गई ताकि भाजपा केन्द्र की अपनी सत्ता को बनाए रख सके और दूसरे राज्यों की सरकारों पर काबिज हो सके।

यह धोखेबाजी तथा चालबाजियां लगातार चलती रही हैं और अब जबकि चुनाव सिर पर आ गए हैं भाजपाई जुंडली सरकारी कोष का दुरुपयोग करके अपने पक्ष में झूठ और कपट से भरा प्रचार अभियान चला रही है; चुनावों की तिथियां ज्यों ज्यों निकट आती चली जा रही हैं त्यों त्यों ये लोग साम्प्रदायिक उन्माद पैदा करने में कोई कोर कसर शेष नहीं छोड़ रहे। विश्व हिन्दु परिषद, बजरंग दल जैसे संघ परिवार के घटक जोरदार शब्दों में साम्प्रदायिक नारे लगा रहे हैं; पूरी उद्दण्डता के साथ हिन्दुत्व के अपने एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं जबकि उनके राजनीतिक घटक भारतीय जनता पार्टी के नेता उदारवादी होने का ढोंग रच रहे हैं; वे लोगों को अंधेरे में रख रहे हैं; उनकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं। महज इसलिये कि वे लोगों के वोट हासिल कर सकें। आर्थिक नीति के मुद्दों पर पर भी इसी प्रकार की चालबाजियों से काम लिया जा रहा है जहां स्वदेशी जागरण मंच तथा भारतीय मजदूर संघ जैसे संघ परिवार के घटक लोगों में उदारीकरण की नीति के खिलाफ जहर उगल रहे हैं किन्तु जब इन नीतियों के खिलाफ कुछ कर गुजरने का मौका आता है तो ये लोग बड़ी बेशर्मी के साथ पीछे हट जाते है।

भाजपा की अगुवाई वाले गठबंधन को यह इजाजत कदापि नहीं दी जानी चाहिये कि वाह बार बार देश के श्रमिक वर्ग तथा मेहनतकश अवाम को धोखे पर धोखा देता चला जाए। यह गठबंधन उनका बदतरीन दुश्मन है; आगामी चुनावों में कमरतोड़ पराजय देकर एनडीए गठबंधन को सबक सिखाना होगा। यही समय की मांग है।

24 फरवरी की हड़ताल के सबक

□ सुकोमल सेन

हड़ताल के अधिकार की रक्षा के लिए हुयी 24 फरवरी की देशव्यापी हड़ताल की शानदार सफलता पर कोई संदेह नहीं कर सकता। यह आइ एम एफ तथा विश्व बैंक के इशारे पर 1991 से लागू की जा रही नव-उदारवादी वैश्वीकरण की नीतियों को जोर-शोर से लागू किए जाने की शुरूआत के बाद से ट्रेड यूनियनों और राष्ट्रीय फेडरेशनों की आयोजन समिति की ओर से आयोजित की जानेवाली नौंवीं देशव्यापी आम हड़ताल थी।

पहली हुयी हड़तालों की तुलना में इस बार की यह देशव्यापी हड़ताल अलग तरह की थी। यह तो सच है कि हड़ताल के अधिकार का मुद्दा भी तमिलनाडु के कर्मचारियों तथा शिक्षकों पर हुए नव-उदारवादी आर्थिक हमले से ही पैदा हुआ है,जिसका उन्होंने जुलाई 2003 की एकजुट हड़ताल के जरिए प्रतिरोध किया था। लेकिन अंततः इस मुद्दे ने जयललिता सरकार द्वारा हड़ताली कर्मचारियों तथा शिक्षकों के भयानक विक्टिमाइजेशन और उसके बाद सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल को ''गैरकानूनी, अनैतिक तथा अनुचित'' घोषित करते हुए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले ,जिसमें साथ ही साथ मजदूरों के दूसरे तबकों द्वारा की जानेवाली हड़तालों की भी आलोचना की गयी थी,के साथ अलग ही चरित्र अख्तियार कर लिया। इसके खिलाफ न सिर्फ सरकारी कर्मचारियों तथा मजदूर वर्ग के दूसरे तबकों बल्कि पूरे देश के जनतांत्रिक सोचवाले लोगों के विभिन्न तबकों और बुद्धिजीवियों और खासतौर से भारत सरकार के महाधिवक्ता सोली सोराबजी से लेकर उच्च न्यायालयों के पूर्व मुख्य न्यायाधीशों,सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीशों और विभिन्न राजनीतिक संबद्धताओं के साथ काम करनेवाले जाने माने वकीलों तक कानून के प्रबुद्ध जानकारों के फूटे गुस्से तथा विरोध ने नयी स्थिति पैदा कर दी।

इस तरह यह मुद्दा सरकारी कर्मचारियों तथा मजदूर वर्ग के दूसरे तबकों के ''हड़ताल के अधिकार'' के रूप में सामने आया।

क्योंकि सरकारी कर्मचारी ही सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का सीधा शिकार बन रहे थे, इसीलिए शुरू में ही अखिल भारतीय राज्य सरकार कर्मचारी फेडरेशन (ए आइ एस जी ई एफ) ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों की कन्फेडरेशन के साथ विचार-विमर्श कर अगस्त 2003 में इस फैसले का मुकाबला करने और राष्ट्रीय स्तर पर कर्मचारियों की एक विशाल हड़ताल आयोजित करने के जरिए ट्रेड यूनियन अधिकारों के इस पूरी तरह अस्वीकार्य हनन को चुनौती देने का संकल्प लिया। पूरे पूंजीवादी राज्य-इसकी प्रशासनिक शाखा से लेकर दमनकारी शाखा पुलिस और न्यायपालिका तक-द्वारा मजदूर वर्ग के जनतांत्रिक अधिकार पर किए गए इस निरंकुश हमले से संयुक्त प्रतिरोध के जरिए लड़ने की जरूरत पर राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरीय कन्वेंशनों और अनेकानेक सेमिनारों तथा लेखन के जरिए जोर दिया गया।

अन्य महत्वपूर्ण सबक

ट्रेड यूनियन एकता की कार्यनीति और इस नारे के सही होने,यह नारा उठाने के सही समय और संघर्ष छेड़ने के सही समय के इन सबकों के अलावा और भी महत्वपूर्ण सबक इस हड़ताल से निकलते हैं।

इनमें **पहला** सबक यह है कि तमिलनाडु में कर्मचारियों के बर्बर विक्टिमाइजेशन से और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के जघन्य फैसले से शुरू में और खासतौर से सरकारी कर्मचारियों में बेहद हताशा तथा डर का माहौल बन गया था ,लेकिन हड़ताल के निर्णय तथा उसके लिए चले जबर्दस्त अभियान और अंततः जबर्दस्त ढ़ंग से सफल रही हड़ताल ने इस नकारात्मक स्थिति को धनात्मक स्थिति में बदल दिया।

दूसरा सबक यह निकलता है कि अगर सही समय पर सही नारा दिया जाए तथा सही ढ़ंग से अभियान चलाया जाए ,प्रचार किया जाए तथा एकता का निर्माण किया जाए तो वेतन जैसे आर्थिक मुद्दों पर निर्भर रहने की बजाय एक शुद्ध रूप से जनतांत्रिक मुद्दे पर भी जबर्दस्त और सफल हड़ताल संभव है।

तीसरा महत्वपूर्ण सबक जनता पर भरोसा करने का है। अगर जुझारू ट्रेड यूनियनें गहराई से मजदूरों की कतारों में घुसपैठ करें और उनके समक्ष सही ढ़ंग से मुद्दों को रखें तो आम मजदूर भी शुद्ध रूप से एक जनतांत्रिक मुद्दे पर सक्रिय हो सकता है,जैसे कि 24 फरवरी की हड़ताल में हुआ।

और **अंतिम** सबक यह कि आर्थिक हमले के खिलाफ लड़ते हुए मजदूर वर्ग के आंदोलन को आर्थिकवाद से बाहर आने की कोशिश करनी चाहिए और जनतांत्रिक जनता के लोकप्रिय मुद्दों को भी उसे उठाना चाहिए और जनतांत्रिक जनता को एकजुट करना चाहिए। इस प्रक्रिया में उसे अपने आप को राजनीतिक रूप से शिक्षित करना चाहिए। जनतंत्र, ट्रेड यूनियन तथा राजनीतिक अधिकारों की रक्षा के लिए एकजुट जनतांत्रिक संघर्ष छेड़ना चाहिए और राष्ट्रीय तथा अंतराष्ट्रीय मुद्दों के लिए चलनेवाले संघर्षों में अपने आपको शामिल करना चाहिए। साम्राज्यवादी वैश्वीकरण के इस दौर में साम्राज्यवादी आक्रामकता और इससे जुड़े तमाम दमनात्मक तथा निरंकुशतावादी कदमों के प्रतिरोध के लिए यह बेहद जरूरी है।

24 फरवरी की देशव्यापी हड़ताल से देश के प्रगतिशील तथा मूलगामी ट्रेड यूनियन आंदोलन के लिए अनेक मूल्यवान सबक निकलते हैं और एक वर्ग के रूप में राजनीतिक रूप से सचेत मजदूर वर्ग की गतिविधियों के लिए इनका भारी महत्व है।

भारत उदय : किन्तु उनके जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है...

□ के हेमलता

यदि देश की राजधानी दिल्ली में मुट्ठी भर लोगों के लिये भारत उदय कहा जा सकता है या भारत चमक रहा है तो यहां रहने वाली लाखों महिलाओं एवं दूसरे शहरों के लोगों के जीवन में तो यह अंधेरा ही अंधेरा कर रहा है। अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाली कामकाजी महिलाओं की हालत कैसी है; उन श्रमिकों की स्थिति कैसी है जो गृह आधारित उद्योग धंधों में लगे हुए हैं? असल स्थिति का पता लगाने के लिये दिल्ली, मुम्बई तथा कोलकाता जैसे शहरों में एक सर्वेक्षण कराया गया था। सर्वेक्षण के दिल दहला देने वाले नतीजे सामने आए हैं। इन शहरों में स्थापित गृह आधारित उद्योग धंधों में काम करने वाली कामकाजी महिलाओं की स्थिति अत्यंत शोचनीय है। प्रत्येक मामले में कामकाजी स्थल श्रमिक का अपना घर होता है; इस कामकाजी स्थल के रख रखाव का कोई खर्चा सेवा योजक या दलाल नहीं करता। प्रत्येक मामले में श्रमिकों को अत्यंत अल्प पारिश्रमिक दिया जाता है; ये लोग बहुधा उजरत दरों पर काम करते हैं और प्रतिदिन कमरतोड़ काम का बोझ ढोने के लिये वे मजबूर होते हैं। वे अपनी मेहनत के बल पर बाजार में जो उत्पाद भेजते हैं और उसका जो मूल्य उनके सेवा योजकों को मिलता है, उसका .01 प्रतिशत भाग भी उन्हें नहीं दिया जाता। तथा कथित भारत उदय के प्रमुख महानगरों में इन श्रमिकों के शोषण एवं उत्पीड़न की कहानियां दिल दहला देने वाली हैं। नयी दिल्ली में मार्च 2004 को एक संगोष्ठी एवं कार्यशाला का आयोजन किया गया था; उसी संगोष्ठी में इस दिल दहला देने वाली कामकाजी स्थिति तथा शोषण का खुलासा किया गया था।

संगोष्ठी में अध्ययन के निष्कर्षों को तो पेश किया ही गया था इसके साथ ही कुछ आलेख भी पढ़े गए। दिल्ली स्थित गृह आधारित उद्योग धंधों में काम करने वाले कुछ श्रमिकों को भी संगोष्ठी में भाग लेने के लिये आमंत्रित किया गया था। उन्होंनें अपने कामकाजी अनुभव सुनाए।

फैंसी वस्त्रों की कढ़ाई में काम आने वाले छोटे पत्थर तैयार करने वाली सुमित्रा ने कहा कि सामान की आपूर्ति दलाल की ओर से नियमित तौर पर नहीं की जाती। उसे आभूषण से दिखने वाले 1200 छोटे पत्थरों को बनाने के लिये केवल 15 रुपये दिये जाते हैं। वह अकेली यह काम नहीं कर पाती; इसके लिये उसे अपने बच्चों की सहायता लेनी पड़ती है। उसे दस घण्टे काम करना पड़ता है। उसने शिकायत की कि इस अल्प राशि का भुगतान भी नियमित रूप से नहीं किया जाता।

पैच कटिंग का काम करने वाली उषा दिन में 6 घण्टे काम करती है। उसी के मुहल्ले में रहने वाले एक व्यक्ति की ओर से उसे कपड़े तथा डिज़ाइन की आपूर्ति की जाती है। वह अपनी बेटी की सहायता से दिन में 20–25 टुकड़ों की कटाई करती है; इसके लिये उसे एक रुपया प्रति टुकड़ा दिया जाता है। वह अनुभव करती है कि उसे एक टुकड़े की कटाई करने पर कम से कम 4–5 रुपये मिलने चाहियें। इस काम में भारी प्रतिस्पर्धा होती है इसलिये उसे नियमित तौर पर काम नहीं मिलता। प्रतिस्पर्धा अधिक होने के कारण वह अपना पारिश्रमिक बढ़ाने की मांग भी नहीं कर सकती। सूईयों तथा दूसरे तीखे औजारों के साथ लगातार काम करने के कारण उसकी उंगलियां भी खराब हो चुकी हैं। रेखा वस्त्रों पर कशीदाकारी का काम करती है। उसे प्रति पीस 5 रुपये मिलते हैं; एक पीस का काम वह पूरे दिन में खत्म कर पाती है। उसी पीस को बाजार में बहुत ऊंचे दाम बेचा जाता है; यह बात वह जानती है। उसका शोषण किया जाता है; यह बात वह समझती तो है पर कर कुछ नहीं सकती क्योंकि उसके पास दूसरा काम भी तो नहीं है। वह कहती है कि बाजार में जबरदस्त प्रतिस्पर्धा होने के कारण भी वह अधिक उजरत की मांग नहीं कर पाती। क्योंकि उसके कारोबार में भी भारी बेरोजगारी पाई जाती है।

कामनी कपड़ों में काम आने वाली इलास्टिक बनाती है। उसे एक दर्जन इलास्टिक बनाने पर 0.20 रुपये दिये जाते हैं। वह हर रोज लगभग तीन दर्जन इलास्टिक बनाती है और 6 से 8 रुपये के बीच कमा लेती है।

गीता एल्युमीनियम के फायल एनवलप्स के ऊपर चिपकी पतली पलास्टिक उतारने का काम करती है। यह एनवलप्स एक घण्टे तक पानी में डुबो कर रखने पड़ते हैं उसके बाद उन पर लगी पलास्टिक उतरती है। उसे 1,000 एनवलप्स पर लगी पलास्टिक उतारने पर दिन में 10 रुपये मिलते हैं। उसकी बेटी काम में सहायता करती है अन्यथा यही काम करने में उसे दो दिन लग जाते हैं। इस पर भी यह काम अब उसे नहीं मिलता। उसका पति शराबी है और तपेदिक जैसे रोग से पीड़ित है।

चम्पा सोल्डरिंग आयरन के लिये एलीमैंट बनाती है। वह निकल शीट्स के छोटे–छोटे टुकड़े करती है, टग्सटन स्टील के छोटे टुकड़ों को फोल्ड करती है और उन्हें उनके भीतर रखती है। उसे इस प्रकार के 100 एलीमैंट्स बनाने के लिये 15 रुपये का पारिश्रमिक मिलता है। वह दिन में 100 पीस बना लेती है; इस काम में 6, 9, 12 तथा 17 वर्ष की आयु के उसके बच्चे उसकी सहायता करते हैं। टिन काटते समय उसकी उंगलियों पर घाव हो गए। वह अपने परिवार में कमाने वाला एकमात्र सदस्य है। उसके पारिश्रमिक का भुगतान उसे सप्ताह अथवा पंद्रह दिनों में एक बार किया जाता है जबकि इस काम में लगा बिचौला हर रोज उसके यहां से एलीमैंट ले जाता है।

संगोष्ठी में भाग लेने वाली कुछ महिलाएं टाफी रैपिंग तथा प्राइस टैग मेकिंग के काम में लगी थीं। उन्होंने बताया कि टाफी तथा कागज की आपूर्ति बचौले की ओर से की जाती है। महिलाओं को एक किलो टाफी पर कागज लपेटने के लिये 3 रुपये दिये जाते हैं। पांच किलो टाफी की रैपिंग करने के काम में 10 दिन लग जाते है और इस प्रकार महिलाएं 10 दिनों में 15 रुपये कमा पाती है। पेपर प्राइस टैग की आपूर्ति भी वजन करके की जाती है। टैग्स के साथ धागे लगाने होते हैं। एक किलो टैग्स पर धागे लगाने पर उन्हें 12 रुपये दिये जाते हैं। सुमन यह काम करने में दो दिनों का समय लगाती है। वह भी तब यदि वह बिना किसी की सहायता के पूरा दिन काम

करती रहे। उसका पति काम मिलने पर प्रायः एम्ब्राइडरी का काम करता है। वह प्रायः दिन में 70–80 रुपये कमा लेता है। किन्तु इन दिनों उसे काम ही नहीं मिलता। वह नहीं चाहता कि उसके बच्चे अपनी मां के साथ काम करें क्योंकि वह तथा उसका पति दोनों चाहते हैं कि उनके बच्चे मन लगा कर पढ़ें।

रेखा बिंदियां चुनने तथा बनाने का काम करती है। उसे सादी बिंदियां मिल जाती हैं जिन पर उसे छोटे–छोटे बीडस चिपकाने होते हैं; और उन्हें आकर्षक बनाना होता है। इससे उसकी आंखों पर बहुत दबाव पड़ता है। वह पांच दिनों में 144 पैकट का एक बाक्स तैयार कर पाती है; उसे प्रत्येक बाक्स के लिये 20 रुपये मिलते हैं। इस प्रकार उसे दिन में केवल चार रुपये की आय होती है।

वर्षा एल्युमीनियम के एलीमैंट बनाने के एक और चरण से जुड़ी हुई है। वह एलीमैंटस के साथ तारें लगाती है। उसे 100 एलीमैंट्स बनाने पर 8 रुपये दिये जाते हैं और इस प्रकार वह दिन में 20–25 रुपये कमा लेती है। उसका पति जल गया था; गहरे घाव होने के कारण वह काम नहीं कर पाता। उसकी बेटी रेखा को अस्थमा है, वह बिंदियां बनाती है। पिता तथा पुत्री दोनों को इलाज की जरूरत है। किन्तु उसके लिये पैसा चाहिये जो उनके पास नहीं है।

कावित्री अधिक आयु की हो चुकी है; उसकी आयु इस समय 60 वर्ष से अधिक है। वह भी पेपर प्राइस टैग्स बनाने का काम करती है। उसे किलोग्प्रम 11 रुपये दिये जाते हैं। वह 2–3 दिनों में लगभग एक किलोग्राम टैग्स बना पाती है। कई कई घण्टे लगातार काम करते रहने के कारण उसकी पीठ में भयानक दर्द रहने लगा है।

ये सभी महिलाएं इस प्रश्न पर एकमत हैं कि आज से पांच वर्ष पहले उनकी हालत आज की बजाए अच्छी थी। उदाहरण के लिये एक औरत ने बताया कि आज से दस वर्ष पहले जब वह दिल्ली आई थी, उसे मकान का किराया देने के लिये 300 रुपये का भुगतान करना पड़ता था। उसका पति प्रायः 50 रुपये प्रतिदिन कमा लेता था। आज वह 100 रुपये प्रति दिन कमाता है पर यह काम उसे नियमित रूप से नहीं मिलता। किन्तु उसी घर के लिये अब उसे 1,000 रुपये का किराया देना पड़ता है। पहले उन्हें उचित मूल्य दर की दुकानों से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत सस्ता राशन मिल जाता था। अब राशन की दुकानों से उन्हें कुछ नहीं मिलता।

सभी महिलाएं बड़े आवेश में थीं। उनका कहना था कि सरकार अपना खजाना भरने के लिये शराब की खुली बिक्री करा रही है। उनके पतियों को शराब पीने की लत लग जाती है। ऐसे में ये गरीब औरते अपना गुजर बसर कैसे करती हैं; यह बात सरकार नहीं जानती।

फील गुड! क्या यह सच है?

वर्ष 2001 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार

- ग्रामीण क्षेत्रों के 17.75 करोड़ घरों में से आधे से अधिक अथवा 8.80 करोड़ घरों की स्थिति यह हैः वे छप्पर हैं; उनकी दीवारें घास फूस तथा बांस की होती है; 12.50 लाख लोगों के घर मिट्टी के होते हैं; घर के भीतर के फर्श नाम के लिये होते हैं, जमीन पर मिट्टी की पुताई की गई होती है; कच्ची ईंटों के साथ उन घरों का निर्माण किया गया होता है। प्रधानमंत्री महोदय! ग्रामीण आवास योजना का खूब जम कर प्रचार हो रहा है; इश्तहार बाजी की जा रही है; इन करोड़ों लोगों के घरों के बारे में आपका क्या विचार है?
- ग्रामीण क्षेत्रों में 13.80 करोड़ अथवा 56 प्रतिशत घरों में बिजली नहीं पहुंची; ये लोग मिट्टी के तेल के दिये जला कर अपने घरों में उजाला करते हैं। मिट्टी का तेल भी उन्हें हर समय कहां मिलता है!
- सभी गावों का बिजलीकरण करने के कार्यक्रम का बहुत शोर मचाया गया था; शोर तो अब भी मचाया जा रहा है पर क्या असल में उस पर कोई कार्रवाई की गई है?
- गांवों के केवल 24 प्रतिशत घरों में ही पानी की टूटीयां लगी हैं; 43 प्रतिशत नलकों से पानी निकालते हैं; और 22 प्रतिशत कुओं पर जाकर पानी लाते हैं।
- ग्रामीण इलाकों के कुल 13.80 करोड़ घरों में से 10.80 करोड़ घरों में पाखाने की कोई व्यवस्था नहीं है।
- गांवों में 19.80 लाख पूजा स्थल तो हैं पर कारखानों तथा कर्मशालाओं की संख्या 98 हजार है, अस्पतालों तथा औषधालयों की संख्या 34 हजार; स्कूलों और कालेजों की संख्या केवल 26 हजार है।

ग्रामीण भारत में

ये सभी आंकड़े 2001 की जनगणना के रिकार्ड में से लिये गए हैं। किन्तु असल तस्वीर कैसी है। दावा तो यह किया जा रहा है कि गांवों के 89 प्रतिशत घरों में पानी सुलभ होता है किन्तु जमीनी सच्चाई क्या है? 1.6 किलोमीटर की परिधि में प्रत्येक 250 घरों के लिये केवल एक नलका सुलभ होता है या वहां पानी की एक टूटी लगी होती है; इन घरों के लिये पानी की प्राप्त करने का एकमात्र स्रोत यही है। कई बार उन्हें पानी लेने के लिये घण्टों तक इंतजार करना पड़ता है; वे लोग लाइन में खड़े रहते हैं। इस पर भी उन्हें जो पानी मिलता है, क्या वह अच्छी क्वालिटी का होता है? और क्या यह पानी उन्हें पूरा वर्ष मिलता है? इसके जवाब में हम क्या कहें; आप विश्व बैंक वालों की बात ही सुन लीजिये : "...गग्रमीण भारत में जल आपूर्ति की अनेक सुविधाओं का दिवाला पिट चुका है; उनका रख रखाव ठीक ढंग से नहीं होता और न ही ये सुविधाएं स्थायी रहती हैं।" और हमारे विशेषज्ञों का इस मामले में क्या कहना हैः "पानी में जहरीले पदार्थ होते हैं; सभी प्रकार के प्रदूषक तत्व पानी में मिले होते हैं; गांवों में रहनी वाली अधिकतर ऐसा पानी ही पीती एवं इस्तेमाल करती है। इसके फलस्वरूप हैजा जैसी बीमारी होती है; और भी कई प्रकार की बीमारियां लोगों को जकड़ लेती हैं और वे समय से पहले ही काल का ग्रास बन जाते हैं...(माइ न्यूज, रेडिफ. काम, 26–12–2003)।

आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने हड़ताल के अधिकार का उपयोग किया

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तथा सहायिकाओं की ओर से 24 फरवरी, 2004 को देश भर में हड़ताल करने हड़ताल करने के अपने अधिकार का उपयोग किया गया। यह हड़ताल अभूतपूर्व रही। लाखों आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने देश भर में अपना काम बंद करके हड़ताल करने के अधिकार का उपयोग किया। उन्होंने विभिन्न उद्योगों में काम करने वाले अपने भाईयों तथा बहिनों; राज्य सरकार एवं केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों; बैंक एवं बीमा कर्मचारियों के साथ मिल कर उस दिन मुकम्मिल हड़ताल की।

आल इंडिया फैडरेशन आफ आंगनवाड़ी वर्कर्स एण्ड हैल्पर्स की वर्किंग कमेटी ने सभी राज्य समितियों को आह्वान किया था कि वे हड़ताल करने के अधिकार पर एक व्यापक प्रचार अभियान चलाएं और इसके साथ ही भाजपा के नेतश्त्व वाली एनडीए सरकार की श्रमिक वर्ग विरोधी तथा जन विरोधी नीतियों के खिलाफ भी प्रचार अभियान चलाया जाए। फैडरेशन और उसके साथ–साथ राज्य एवं जिला समितियों की ओर से हड़ताल के नोटिस दिये गए थे। फिर भी देश के वश्हत हितों को ध्यान में रखते हुए और पोलियो मुक्त भारत के अभियान में अपनी भूमिका को सुनिश्चित बनाने के लिये आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने पल्स पोलियो कार्यक्रम में भाग लिया; यद्यपि उस दिन आंगनवाड़ी केन्द्र बंद रहे और उनकी ओर से हाजरी रजिस्टर पर हस्ताक्षर नहीं किये गए।

प्राप्त समाचारों के अनुसार हरियाणा में राज्य समिति की ओर से 4,000 पर्चे प्रकाशित कराए गए जिनमें बताया गया था कि किस प्रकार श्रमिकों के हड़ताल करने के अधिकार पर धावा बोला जा रहा है और ये पर्चे आंगनवाड़ी कर्मचारियों में वितरित किये गए। राज्य में आंगनवाड़ी कर्मचारियों की दूसरी मांगों में अतिरिक्त काम के लिये राज्य सरकार के अंशदान को बहाल करना; पेन्शन तथा भविष्य निधि जैसे सामाजिक सुरक्षा के लाभों का प्रावधान किये जाने की मांगें भी शामिल की गई थीं। हड़ताल के कारण राज्य में 70 प्रतिशत से अधिक आंगनवाड़ी केन्द्र बंद रहे। जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन किये गए; सीआइटीयू तथा राज्य सरकारी कर्मचारी संघों की ओर से आयोजित कार्यक्रमों में आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने भारी संख्या में भाग लिया। हिमाचल प्रदेश में हड़ताल लगभग सम्पूर्ण रही; लगभग सभी जिलों में आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने जिला एवं प्रखण्ड स्तरों पर रैलियां निकालीं तथा जुलूस निकाले। प्रत्येक कार्यक्रम में सैंकड़ों कर्मचारियों ने भाग लिया।

पंजाब में आंगनवाड़ी मुलाजम यूनियन के नेतश्त्व में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तथा सहायिकाओं की ओर से सम्पूर्ण हड़ताल की गई। रजिस्टर पर हड़ताल का हवाला देकर उन्होंने सभी परियोजनाओं के मुख्यालयों पर विशाल रैलियों का आयोजन किया।

आंध्र प्रदेश में यूनियन की राज्य एवं जिला समितियों की ओर से 50 हजार से अधिक पर्चे छपवाए गए। उसमें बताया गया था कि हड़ताल करने के अधिकार की रक्षा के लिये हड़ताल करना क्यों जरूरी है। यह भी बताया गया था कि किस प्रकार श्रमिक वर्ग ने असंख्य बलिदान देकर हड़ताल करने का अधिकार प्राप्त किया था। आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने परियोजना स्तरों पर धरनों तथा रैलियों का आयोजन किया।

कर्नाटक में राज्य भर के आंगनवाड़ी कर्मचारियों की ओर से प्रदर्शनों का आयोजन किया गया और हड़ताल की गई।

पांडिचेरि में हड़ताल लगभग सम्पूर्ण रही। पांडिचेरि राज्य आंगनवाड़ी स्टाफ एसोसिएशन की ओर से पर्चे, पोस्टर छपवाए गए और हड़ताल के नोटिस दिये गए। सैंकड़ों आंगनवाड़ी कर्मचारी राज्य विधान सभा के सामने एकत्रित हुए और उन्होंने प्रदर्शन करके हड़ताल करने के अपने अधिकार का उपयोग किया।

महाराष्ट्र, असम, पश्चिम बंगाल, केरल, त्रिपुरा, उत्तरांचल तथा बिहार में भी आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने विशाल स्तर पर हड़ताल में भाग लिया।

आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने पिछला बकाया प्राप्त किया

हजारों आंगनवाड़ी कर्मचारियों की ओर से गुवाहाटी में दिसपुर विधान सभा के आगे जबरदस्त प्रदर्शन किया गया। ये महिलाएं राज्य भर से यहां आई थीं। वे मांग कर रही थीं कि उन्हें बढ़े हुए मानदेय की पिछली बकाया राशि का भुगतान किया जाए। बकाया राशि के भुगतान का मामला अप्रैल 2002 से लम्बित पड़ा है। असम राज्यिक आंगनवाड़ी कर्मी अरु सहायिका यूनियन की ओर से बार बार अनुरोध किये जाने पर भी राज्य सरकार की ओर से इसका भुगतान नहीं किया जा रहा था। यूनियन की ओर से इसके विरोध में राज्य विधान सभा के आगे 5 मार्च, 2004 को विशाल धरने का आयोजन

किया गया था। पुलिस ने धरने में भाग लेने के लिये गुवाहाटी आ रही महिलाओं को शहर के बाहर रोकने का प्रयास किया किन्तु आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने उसी स्थान पर रास्ता रोको कार्यक्रम शुरू कर दिया। इसके फलस्वरूप सड़कों पर यातायात ठप्प हो गया।

आखिरकार राज्य के वित्त मंत्री तथा समाज कल्याण मंत्री को धरना स्थल पर आना पड़ा; उन्होंने आंगनवाड़ी कर्मचारियों को सम्बोधित किया और खुले आम घोषणा की कि पिछले बकाया की पूरी राशी का भुगतान मार्च तक कर दिया जाएगा। यूनियन की राज्य समिति तथा सीआइटीयू की ओर से इसके लिये आंगनवाड़ी महिलाओं को बधाई दी गई है; दोनों संगठनों ने आंगनवाड़ी कर्मचारियों से अनुरोध किया है कि जब तक सरकार अपने वादे को पूरा नहीं करती तब तक वे अपनी चौकसी बनाए रखें। नेताओं ने यूनियन को मजबूत बनाने के महत्व पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि मजबूत संगठन के बल पर ही वे अपनी दीर्घावधि से लम्बित मांगों को पूरा करा सकती हैं।

पंजाब : आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने मानदेय में बढ़ोतरी का वादा पूरा करने की मांग की

हजारों आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तथा सहायिकाओं की ओर से 14 मार्च, 2004 को नेहरू पार्क, पटियाला में जोरदार प्रदर्शन किया गया। वे अपनी दीर्घावधि से लम्बित मांगों के प्रति राज्य सरकार के लापरवाही तथा उदासीन रुख के खिलाफ अपना रोष व्यक्त कर रहे थे। उनकी मांगों में एक मांग मानदेय जिसमें 300 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी, का भुगतान तत्काल किया जाए। उल्लेखनीय है कि मानदेय में वश्द्धि किये जाने की घोषणा समाज कल्याण मंत्री की ओर से 8 मार्च, 2003 को की गई थी। इसके अतिरिक्त आंगनवाड़ी केन्द्रों को पंचायतों के हवाले किये जाने सम्बन्धी फैसले को रद्द करने; राजनीतिक तौर पर प्रतिशोध की कार्रवाई का शिकार हुए कार्यकर्ताओं तथा सहायिकाओं को बहाल करने; समेकित बाल विकास परियोजना के भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई किये जाने की मांग भी की गई थी। आंगनवाड़ी मुलाजम यूनियन के आह्वान पर राज्य भर के हजारों आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने रंगारंग बैनरों, झण्डों तथा तख्तियां हाथों में लेकर पटियाला शहर के मुख्य बाजारों में जुलूस निकाला। जनसभा की अध्यक्षता यूनियन की राज्य अध यक्ष कामरेड हरगोबिन्द कौर ने की जबकि हरजीत कौर, उषा रानी तथा सुभाष रानी इत्यादि नेताओं ने उसे सम्बोधित किया और पंजाब सरकार की कड़ी नुकताचीनी की। घोषणा की गई कि यूनियन की ओर से एक और रैली का आयोजन 21 मार्च को फगवाड़ा में किया जाएगा जो समाज कल्याण मंत्री का चुनाव क्षेत्र है और उसके बाद भी यदि मांगे नहीं मानी गई तो यूनियन सीधी कार्रवाई करने के लिये मजबूर होगी।

छत्तीसगढ़

आंगनवाड़ी कार्यकर्ती एवं सहायिका यूनियन की ओर से छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अपनी दीर्घावधि से लम्बित मांगों के लिये 20 फरवरी को विशाल धरना दिया गया। धरने में लगभग 1200 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तथा सहायिकाओं ने भाग लिया जो राज्य भर से यहां आए थे। नियमित किये जाने तथा मानदेय में बढ़ोतरी के अतिरिक्त वे मांग कर रहे थे कि उनके मानदेय का भुगतान नियमित तौर पर किया जाए; टीए तथा डीए लागू किया जाए; आंगनवाड़ी कर्मचारियों को सुपरवाइजरों के तौर पर नियुक्त किया जाए; राज्य सरकार की ओर से कराए जाने वाले अतिरिक्त काम के लिये अतिरिक्त पारिश्रमिक दिया जाए; ग्रीष्मकालीन अवकाश दिया जाए इत्यादि। आल इंडिया फैडरेशन आफ आंगनवाड़ी वर्कर्स एण्ड हैल्पर्स की अध्यक्षा कामरेड नीलिमा मैत्र के नेतश्त्व में एक पांच सदस्यीय शिष्टमण्डल ने बाद में एडीएम से मुलाकात की और उनके माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम एक मांग पत्र भेंट किया।

कामरेड नीलिमा मैत्र ने धरनाकारियों को सम्बोधित करते हुए राज्य सरकार की तीखी आलोचना की तथा आरोप लगाया कि उसकी ओर से अमीरों के हित में गरीबां की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने कहा कि विश्व बैंक निदेशित नीतियों को लागू किये जाने के परिणामस्वरूप सरकार गरीबों को कम से कम कल्याणकारी सुविधाएं प्रदान करने के अपने दायित्व से भी मुंह मोड़ रही है। समेकित बाल विकास योजना जो कभी एक कल्याणकारी योजना हुआ करती थी, को कमजोर किया जा रहा है। कुछ राज्य सरकारें पर्याप्त मात्रा में आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिये पौष्टिक आहार की आपूर्ति नहीं कर रही हैं। यूनियन की अध्यक्ष जेपी तिखारिया, महासचिव उमा नेताम तथा कोषाध्यक्ष रम्भा पवार एवं दूसरे नेताओं ने भी ध रनाकारियों को सम्बोधित किया। यह फैसला किया गया कि जब तक मांगे पूरी नहीं होतीं तब तक आंदोलन जारी रखा जाएगा तथा उसे और तेज किया जाएगा।

हड़ताल में महिलाओं की भागीदारी

–रमा देवी

कामकाजी महिलाओं की समन्वय समिति की विजाग जिला इकाई की ओर से 24 फरवरी की हड़ताल को सफल बनाने के लिये योजनाबद्ध ढंग से सघन प्रचार अभियान चलाया गया। इसके माध्यम से कामकाजी महिलाओं की हड़ताल में भागीदारी को यकीनी बनाया गया और सांगठनिक सम्बद्धताओं से ऊपर उठ कर महिलाएं हड़ताल में भाग लें, इसे यकीनी बनाने के लिये कोई कोर कसर शेष नहीं छोड़ी गई।

सर्व प्रथम विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाली महिला नेत्रियों की एक बैठक का आयोजन किया गया; मध्य वर्गीय महिलाओं ने विशेष तौर पर इस बैठक में भाग लिया; यह बैठक इस पूरे कार्यक्रम की योजना बनाने के उद्देश्य से बुलाई गई थी। बैठक में दोपहर के खाने के समय बैठकें बुलाने तथा प्रेस वक्तव्य जारी करने का निर्णय लिया गया। 14–2–2004 को महिलाओं की एक गोल मेज बैठक हुई जिसने मीडिया का ध्यान अपनी ओर आकश्ष्ट किया। गैर सरकारी संगठनों, एल आइ सी, जी आइ सी, मैडिकल एण्ड हैल्थ कर्मी, अदालतों में काम करने वाली कामकाजी महिलाओं, नर्सों, यूटीएफ, आंगनवाड़ी, इस्पात एवं राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के नेताओं ने इस गोल मेज बैठक में भाग लिया। हड़ताल को सफल बनाने के लिये 21 फरवरी को जिला स्तरीय सम्मेलन बुलाने का फैसला किया गया। क्योंकि यह एक सामूहिक फैसला था इसलिये सभी सेक्टर्स में काम करने वाली महिला नेत्रियों ने महिलाओं को लामबंद करने के लिये पहलकदमी की।

- तीन नेत्रियों ने अपने–अपने कार्यालयों से अवकाश लिया और उनकी ओर से प्रत्येक कार्यालय तथा उपक्रम में जाकर हड़ताल के पर्चे बांटे गए।
- दोपहर के खाने के समय तीन बैठकों का आयोजन किया गया।
- जिला स्तरीय सम्मेलन में लगभग 200 महिलाओं ने भाग लिया और वे बैठक के अंत तक वहीं बैठी रहीं।
- पुस्तिकाएं बेची गई और 2000 पैम्फलट बांटे गए।
- हड़ताल शत प्रतिशत सफल रही और उसमें महिलाओं की भागीदारी सराहनीय थी।

क्योंकि इस बार हड़ताल की योजना पहले से बना ली गई थी इसलिये शुरू से महिलाओं को इसमें शामिल किया जा सका और उनकी ओर से हड़ताल को जबरदस्त सफल बनाने के लिये अपना योगदान दिया गया। सीआइटीयू के नेतृत्व की ओर से भी इन प्रयासों की सराहना की गई है। एम धनलक्ष्मी, अमन कुमारी, जी कोमलेश्वरी, एम पद्मजा, वाली सुब्बालक्ष्मी, उषामनोरंजानी, गोवारिभा रत्ती, भारती, जी मार्गरेट, के मणि, नूतन, देवी, सत्यावती, अरुणा, के पद्मा, सत्यवती तथा उषा रानी की ओर से नेतृत्वकारी भूमिका निभाई गई।

कामकाजी महिलाओं की जनरल बाडी बैठक

तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में टक्काले नामक स्थान पर 29–2–2004 को कामकाजी महिलाओं की एक विशेष जनरल बाडी बैठक का आयोजन किया गया।

राज्य समिति की सदस्य एन उषा ने बैठक की अध्यक्षता की। राज्य समिति की एक और सदस्या टी आर मेरी, विभिन्न यूनियनों की पदाधिकारियों – सुजा मेरलिन (बीड़ी), अस्वथी (टेलरिंग), रोजेलिन (बागवानी), सी रेंगाबाई (काजू), सिसली (निर्माण), के काली प्रसाद (वीएसएनएल), फातिमा (शिक्षिका), ललिता (आइसीडीएस) के साथ–साथ विभिन्न क्षेत्रों की लगभग एक सौ कामकाजी महिलाओं ने इस बैठक में भाग लिया।

कामकाजी महिलाओं की तमिलनाडु राज्य समन्वय समिति की सह संयोजक पी इंदिरा ने कामकाजी महिलाओं की अखिल भारतीय समन्वय समिति के सातवें सम्मेलन जो अक्तूबर 2003 को मुम्बई में हुआ था तथा दिसम्बर, 2003 को चेन्नई में आयोजित समन्वय समिति के फैसलों तथा कार्रवाईयों के बारे में रिपोर्टिंग की। उन्होंने केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों की श्रमिक विरोधी, जन विरोधी नीतियों पर भी प्रकाश डाला।

जनरल बाडी ने सर्व सम्मति से नागरकोइल लोक सभा क्षेत्र से सी पी आइ (एम) के प्रत्याशी कामरेड ए वी बेलारमिन को समर्थन देने तथा उन्हें सफल बनाने के लिये काम करने का फैसला किया। वह सीआइटीयू तथा सीडब्ल्यूएफआइ के प्रमुख नेता हैं। सी पी आइ (एम) की ओर से उदारीकरण, निजीकरण तथा भूमण्डलीयकरण की नीतियों के खिलाफ अनेक संघर्ष किये गए है। उषा ने बैठक में भाषण दिया। उन्होंने कहा कि कामकाजी महिलाओं को किस प्रकार कारगर ढंग से काम करना चाहिये। तंगामल की ओर बैठक में भाग लेने वाली महिलाओं का धन्यवाद किया गया।

अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया

नयी दिल्ली

सीआइटीयू के केन्द्रीय कार्यालय बी टी रणदिवे भवन के सभागार में 8 मार्च, 2004 को अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर एक सभा का आयोजन किया गया। सीआइटीयू जनरल कौंसिल सदस्य रंजना निरूला ने सभा की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि सीआइटीयू केन्द्र में इस प्रकार की सभा का आयोजन पहली बार किया गया है। सीआइटीयू के अध्यक्ष कामरेड एम के पन्धे ने इस अवसर पर भाषण देते हुए कहा कि अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस केवल महिलाओं की ओर से मनाया जाने वाला दिवस ही नहीं है। महिलाओं की मुक्ति के लिये महिलाओं तथा पुरुषों दोनों के एक साथ संघर्ष करने की आवश्यकता है। उन्होंने सुझाव दिया कि अगली बार हमें इस अवसर पर इससे भी बड़ी सभा अथवा संगोष्ठी का आयोजन करना चाहिये। महासचिव कामरेड चित्तब्रत मजुमदार ने कहा कि सीआइटीयू की ओर से महिलाओं का संगठित करने तथा उन्हें संगठन में ऊंचे पदों पर पदोन्नत करने की ओर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। भविष्य में हमें अपने प्रयासों को और तेज करना होगा तथा इस प्रश्न पर पुरुषों में भी जागरूकता पैदा करनी होगी। सीआइटीयू की सचिव कामरेड के हेम लता ने अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इतिहास पर संक्षेप में प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि शोषणकारी पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करने के लिये महिलाओं तथा पुरुषों दोनों को एक साथ एक दूसरे के कंधे से कंधा जोड़ कर संघर्ष करना होगा। मनुष्य का मनुष्य के हाथों शोषण बंद होने पर ही महिलाएं समाज में अपना उचित स्थान प्राप्त कर सकती हैं। सीआइटीयू के सचिव कामरेड डब्ल्यू आर वरद राजन ने समापन भाषण दिया।

विशाखापत्तनम

विशाखापत्तनम सीसीडब्ल्यूडब्ल्यू की ओर से अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में 7 मार्च को सामूहिक बहस का आयोजन किया गया। एलआइसी की संयुक्त सचिव एम पद्मजा ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई। आंध्र प्रदेश गैर सरकारी संगठनों की नेता आमेन कुमारी ने बहस का समारम्भ किया। उन्होंने कहा कि यह दिन केवल मनाने का नहीं है बल्कि महिलाओं तथा श्रमिक वर्ग की समस्याओं को सुलझाने के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त करने का है।

डाक्टर पद्मजा ने बताया कि सरकार की ओर से शुरू किये गए सुधारों के चलते सम्पूर्ण कृषि व्यवस्था की हालत बद से बदतर हो गई है। इसका सर्वाधिक दुष्प्रभाव महिलाओं पर पड़ा है; क्योंकि 85 प्रतिशत महिलाएं कृषि के क्षेत्र में काम करती हैं। श्रमिकों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना और बाल मजदूरी में बढ़ोतरी हुई है। गांवों के अनेक परिवारों की मुखिया महिलाएं बन चुकी हैं; बेरोजगारी के कारण अनेक महिलाओं तथा नौजवान लड़कियों को वेश्यावृत्ति करनी पड़ रही है। भारत उदय का असल चेहरा यही है।

मीडिया तथा सत्ताधारी वर्ग अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के वास्तविक महत्व को विकश्त करके दिखाना चाहते हैं। वे फील गुड कारक का प्रचार कर रहे हैं। महिलाओं को आगे बढ़ कर उनकी इस राजनीति को नाकाम बनाना होगा और मौजूदा नीतियों में बदलाव लाना होगा।

बहस में भाग लेने वाले दूसरे नेताओं ने भाजपा की 'मनुस्मशति' पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि यह उतनी ही खतरनाक है जितने सुधार क्योंकि यह दर्शन महिलाओं को रसोई घर की बांदी बनाए रखना चाहता है और सती जैसी जघन्य प्रथा का महिमामण्डन करता है। मंच की ओर से मांग की गई कि राजनीतिक दलों को अपने-अपने चुनावी घोषणा पत्रों में कामकाजी महिलाओं के लिये पैकेज की घोषणा करनी चाहिये।

एल आइ सी के नेत्रियों तिरुमला, जी कोमलेश्वरी, गैर सरकारी संगठनों की नेत्री रानी दत्त, इस्पात की के पद्मा तथा आंगनवाड़ी नेत्रियों देवी, अरुणा, सत्यवती इत्यादि ने भी बहस में भाग लिया।

आठ मार्च को सीसीडब्ल्यूडब्ल्यू की ओर से शहर तथा एजेंसी एरिया में 2000 पर्चे बांटे गए। संगठन की ओर से गैर सरकारी संगठनों की बैठक का आयोजन किये जाने में भी सहयोग किया गया। उनकी ओर से खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया तथा विजेताओं में पुरस्कार बांटे गए। पहली बार नर्सों की ओर से भी इस दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। (रिपोर्ट : रमा देवी)

तमिलनाडु

अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति तथा कामकाजी महिलाओं की समन्वय समिति की ओर से अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मदुराई जिले के तालाकुलम नामक स्थान पर एक प्रदर्शन किया गया। वे दूसरी बातों के अलावा कामकाजी महिलाओं के लिए शीशु पालना गृह, प्रसूति अवकाश तथा विशेष बस सेवाएं शुरू करने की मांग कर रहीं थीं।

कार्यकर्ताओं का नेतश्त्व मर्सी सौंदरम कर रही थीं। उन्होंने अपनी मांगों के हक में नारे लगाए। दोनों संगठनों ने राज्य व केन्द्र सरकार से मांग की कि वे हैण्डलूम उद्योग को बचाने के लिए तत्काल कदम उठाएं। प्रदर्शन के दौरान समान

काम के लिए समान वेतन, पेंशन व असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की समाजिक सुरक्षा और मेहनत कश जनता के लिए हड़ताल के अधिकार से सम्बन्धित कानून जैसे मुददे उठाए गए।

उन्होंने कर्मचारियों पर स्वैच्छिक सेवा निवश्त्ति योजना लादे जाने तथा सर्वाजनिक क्षेत्र की इकाईयों का राष्ट्रीकरण खत्म करने सम्बन्धी सरकार के कथित कार्यवाईयों की आलोचना की। उन्होंने ने संसद में महिलाओं का 33 प्रतिशत स्थानों का आरक्षण सम्बन्धी विधेयक पारित करने की मांग भी की।

सी आई टी यू के सचिव ए के पदमनाभन ने इस अवसर पर कामकाजी महिलाओं के साथ एकजुटता व्यक्त की।

धमतरी

8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 13 मार्च 2004 को बैलगाड़ी परिवहन यूनियन कार्यालय धमतरी में दोपहर 1:30 बजे सीटू जिला समिति धमतरी की ओर से एक सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में छत्तीयगढ़ लाल झंडा बीड़ी मजदूर एकता यूनियन, छत्तीसगढ़ लाल झंडा मंडी श्रमिक एकता यूनियन एवं बैलगाड़ी परिवहन धमतरी के 225 साथियों ने हिस्सेदारी की, जिसमें 150 महिलाएं थीं।
सभा को संबोधित करते हुए सीटू राज्य समिति सदस्य का. मनीराम देवांगन ने कहा कि उदारीकरण की नीतियों का प्रभाव महिलाओं पर सबसे ज्यादा पड़ रहा है अतः महिलाओं को संघर्ष में आगे आने की आवश्यकता है। सीटू जिला समिति धमतरी की कोषाध्यक्ष एवं लाल झंडा बीड़ी मजदूर एकता यूनियन की राज्य उपाध्यक्षा का. अंजना बाबर ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की जानकारी देते हुए मानव समाज के प्रादुर्भाव से लेकर आजादी के 57 साल बीत जाने के बाद तक की महिलाओं की स्थिति पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आज हमारे देश में साम्राज्यवादी ताकतों की घुसपैठ के कारण नवउदारवादी, नव-औपनिवेशिक शोषण को तेज करने वाली नीतियों के चलते महिलाओं पर एक तरफ दहेज संबंधी हिंसाएं, बलात्कार, हमले, सामाजिक उत्पीड़न प्रत्यक्ष रूप से बढ़ते चले जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ सांप्रदायिकता से उत्पन्न दंगों में हिंसा की मार भी महिलाओं को ही सहनी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि सिल्क की साड़ियों के दामों में कमी करने से मात्र मुट्ठी भर चंद महिलाएं ही खुशी महसूस कर सकती है परन्तु पूरी दुनिया के पैमाने पर 70 प्रतिशत से अधिक बहुमत मेहनतकश गरीब महिलाएं तभी खुशी का अनुभव कर सकती हैं जब उनके ऊपर हो रहे बलात्कार, हमले, दहेज प्रताड़नाएं, सामाजिक उत्पीड़न, घरेलू हिंसाएं आदि पर रोक लगाने के लिए उचित कानून बनाया जाये। जब तक पूंजीवादी सामंती व्यवस्था एवं साम्राज्यवादी शोषण के खिलाफ जारी संघर्षों में मजदूरों के व्यापक हिस्सों के साथ-साथ महिलाओं को नहीं जोड़ा जाएगा तक तक महिलाओं की स्थिति में सुधार संभव नहीं है, इसके लिए महिलाओं को सांगठनिक कियाकलापों में लामबंद करने एवं नेतृत्व का विकास करने के लिए संगठन के पुरुष नेतृत्वकारी साथियों को आगे आना पड़ेगा। सभा की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ लाल झंडा बीड़ी मजदूर यूनियन की राज्य उपाध्यक्ष का. शांति कश्यप ने की।

हरियाणा

जनवादी महिला समिति जिला हिसार के आह्वान पर हिसार में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। जिसकी अध्यक्षता का. सुमित्रा बागड़ी ने की। सभा का संचालन का. निर्मला देवी अध यापिका ने की। सभा में जनवादी महिला समिति की कार्यकर्ताओं, कामकाजी महिलाओं, छात्राओं, सीटू कार्यकर्ताओं, नौजवानों, कर्मचारी नेताओं और कई संगठनों के लोगों ने भाग लिया।

जेएसएम राज्य सचिव सुशीला देवी ने विस्तार से से महिला दिवस के महत्व पर प्रकाश डाला। और किस प्रकार मजदूरों के शोषण के खिलाफ संघर्ष के साथ महिलाओं ने अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए संघर्ष शुरू किया और पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं का संघर्ष तेज हुआ। यह लड़ाई आज जनवाद, समानता तथा महिला मुक्ति की लड़ाई में पहुंच गई है।

सीटू प्रदेश महासचिव का. सतवीर सिंह ने कहा कि महिलाओं की जनवाद की लड़ाई समानता व मुक्ति का संघर्ष मेहनतकश अवाम की मुक्ती की लड़ाई का अभिन्न अंग है। इसलिए हम सबको मिलकर इस लड़ाई को आगे बढ़ाना है। तमाम तरह के शोषण, भेदभाव, अन्याय, घरेलू हिंसा, सामाजिक हिंसा, दहेज हत्या, योन शोषण के खिलाफ सभी लोगों को लागरूक तथा 8 मार्च के इतिहास से प्रेरणा लेनी चाहिए।

जनवादी महिला समिति का. शकुन्तला जाखड़ ने कामकाजी महिलाओं की स्थिति, आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण वैश्वीकरण की नीतियों के कारण बढ़ रही महंगाई, गरीबी, भूख के खिलाफ संघर्ष करने, 33 प्रतिशत आरक्षण विधायिकाओं में देने, खाद्य सुरक्षा आदि के मसलों के खिलाफ निरंतर लड़ाई को तेज करना है, वहीं सांप्रदायिकता के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ, संघर्ष जारी रखना है। डी वाई एफ आई नेता सुनीता सिवाय, महिला नेता रेखा देवी सहित साथियों ने विचार रखे। उसके बाद भारी प्रदर्शन की शक्ल में उपायुक्त कार्यालय पहुचंकर, जहां पर जतन नाट्य मंच के कलाकारों ने *एक नई शुरूआत* नाटक का प्रदर्शन किया जो हरियाणा के समाज में महिलाओं की स्थिति पर बनाया गया। उपायुक्त महोदय को एक ज्ञापन भी दिया गया।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तथा सहायिकाओं का त्रिपुरा राज्य सम्मेलन

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तथा सहायिकाओं के एक राज्य व्यापी सम्मेलन का आयोजन 15 फरवरी, 2004 को शिल्पा संस्कशति भवन, अगरतला में किया गया। राज्य के 39 प्रखण्डों से आए 188 प्रतिनिधियों ने सम्मेलन में भाग लिया। त्रिपुरा राज्य सरकारी कर्मचारियों की समन्वय समिति के महासचिव सत्य ब्रत भट्टाचार्य ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन का आयोजन राज्य सरकारी कर्मचारी संघ की ओर से किया गया था। यह संघ राज्य में आंगनवाड़ी कर्मचारियों को संगठित कर रहा है। सम्मेलन की कार्रवाई का संचालन मधुसेन गुप्त, इंदुबाला दास, दाइबाकी रियांग, डिंग लियाम डारलोंग, ज्योत्सना पाल तथा कंचन देबनाथ पर आधारित अध्यक्षमण्डल की ओर से किया गया।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तथा सहायिका यूनियन की आयोजन समिति की पदाधिकारी शर्वानो चक्रवर्ती ने रिपोर्ट प्रस्तुत की। सभी उपमण्डलों के 19 प्रतिनिधियों ने रिपोर्ट पर बहस में भाग लिया।

सीआइटीयू की त्रिपुरा राज्य समिति के अध्यक्ष तथा समाज शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्री कामरेड माणिक डे ने सम्मेलन के प्रतिनिधियों का अभिनंदन किया। उन्होंने अतिरिक्त काम के लिये अतिरिक्त पारिश्रमिक प्रदान किये जाने तथा पदोन्नति के अवसर सुलभ कराने के माध्यम से आंगनवाड़ी कर्मचारियों की स्थितियों में सुधार लाने के लिये राज्य सरकार की ओर से किये जा रहे प्रयासों का उल्लेख किया। उन्होंने केन्द्र की एनडीए सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि इन नीतियों के कारण देश में असमानताएं बढ़ी हैं; श्रमिक वर्ग पर हमलों में अपार वृद्धि हो रही है। उन्होंने आंगनवाड़ी कर्मचारियों को आह्वान किया कि वे अपने संगठन को मजबूत बना कर केन्द्रीय सरकार की इन नीतियों का प्रतिरोध करें। राज्य सरकारी कर्मचारी संघ के नेताओं आशेष देव राय तथा सुब्रत सरकार ने भी सम्मेलन में भाषण दिये।

सम्मेलन ने सर्वसम्मति से एक नयी यूनियन का गठन करने का फैसला किया; उसका नाम होगा– त्रिपुरा आंगनवाड़ी वर्कर्स एण्ड हैल्पर्स यूनियन तथा यह नया संगठन सीआइटीयू के साथ सम्बद्ध होगा।

सम्मेलन में 61 सदस्यीय राज्य समिति तथा 15 सदस्यीय सचिव मण्डल का गठन किया गया। शर्वानी चक्रवर्ती तथा कामरेड काजल रानी दास क्रमवार अध्यक्ष तथा महासचिव चुने गए।

सीकर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की बैठक

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका यूनियन, जिला सीकर की एक बैठक सीआइटीयू की जिला समिति के कार्यालय में हुई। बैठक में सीकर शहर, दौद, पिपराली, लक्ष्मणगढ़, फतेहपुर, खण्डेला तथा श्री माधोपुर इत्यादि सात स्थानों के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इन कार्यकर्ताओं का सम्बन्ध नौ परियोजनाओं से था। यूनियन की अध्यक्ष सीमा परिहार ने बैठक की अध्यक्षता की। सीआइटीयू की राजस्थान राज्य समिति के सचिव तथा यूनियन के संरक्षक कामरेड हजारी लाल शर्मा ने बैठक का उद्घाटन किया। कामरेड शर्मा ने बताया कि अधिकारियों की ओर से आंगनवाड़ी कर्मचारियों को परेशान किये जाने की अनेक शिकायतें यूनियन को मिल रही हैं; यूनियन ने इन शिकायतों को दूर कराने के लिये आवश्यक कार्रवाई की है; उन्होंने इस सम्बन्ध में यूनियन की ओर से उठाए गए कदमों की जानकारी कार्यकर्ताओं को दी। उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी कर्मचारियों की ओर से संघर्ष करके जो सेवा लाभ प्राप्त किये गए थे, सरकार उन्हें लागू नहीं कर रही है। यूनियन की ओर से इसके खिलाफ संघर्ष चलाया जा रहा है। यूनियन की महासचिव सत्यवति कुदी ने जिले में आंगनवाड़ी कर्मचारियों की समस्याओं पर प्रकाश डाला।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं की अखिल भारतीय फैडरेशन की महासचिव कामरेड हेमलता ने बताया कि आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने संयुक्त संघर्ष चला कर अखिल भारतीय स्तर पर तथा विभिन्न राज्यों में अनेक सेवा लाभ प्राप्त किये हैं; उन्होंने इन सभी सेवा लाभों की जानकारी आंगनवाड़ी महिलाओं को दी। उन्होंने आंगनवाड़ी कर्मचारियों की जागरूकता के स्तर को ऊंचा करने की जरूरत पर बल दिया; उन्होंने कहा कि यूनियन को आंगनवाड़ी महिलाओं के संघर्षों में बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिये ताकि इस बात को सुनिश्चित बनाया जा सके कि संघर्षों के फलस्वरूप उनके द्वारा प्राप्त किये गए सभी सेवा लाभों को लागू किया जाए। उन्होंने सभी परियोजनाओं में आंगनवाड़ी यूनियन को मजबूत बनाने का आह्वान किया।

एन डी ए तथा देहात के गरीब लोग

–तपन सेन

चुनाव आने के साथ ही भाजपा की अगुवाई वाले एनडीए के भोंपुओं ने आक्रमक तेवर दिखाते हुए प्रचार माध्यमों प्रिंट तथा इलेक्ट्रानिक दोनों, में झूठ और फरेब से भरा प्रचार अभियान तेज कर दिया है। इसके लिये सैंकड़ों करोड़ रुपये खर्च किये जा रहे हैं और इसका पूरा बोझ देश के राजकोष पर पड़ रहा है। लोगों को धोखा देने के लिये वैसे तो ये लोग बहुत कुछ कहते हैं; उन सब की चर्चा करना यहां सम्भव नहीं है पर फिर भी उनमें से कुछेक का विश्लेषण हम यहां कर रहे हैं।

देहात में रहने वाले गरीब लोगों के लिये मगरमछ के आंसू

वित्त मंत्री ने चुनाव से पूर्व अपना अंतरिम बजट पेश करते समय भाषण देते हुए 50,000 करोड़ रुपये के 'कशषि क्षेत्र के लिये अंदरूनी ढांचागत कोष' का गठन करने सम्बन्धी एक शानदार योजना की घोषणा की थी। उन्होंने अपने भाषण में एक बात नहीं कही थी या उसे जानबूझ बताया नहीं गया। इससे पहले भी देहाती क्षेत्र के लिये अंदरूनी ढांचागत कोष (आरआइडीएफ) था; उसे बंद कर दिया गया; पर हमारे वित्त मंत्री महोदय ने यह घोषणा करते समय उस पर कुछ न कहना ही जरूरी समझा। उन्होंने 'कशषि क्षेत्र के लिये अंदरूनी ढांचागत कोष' का गठन करने की घोषणा तो कर दी पर उसके लिये अंतरिम बजट में एक पैसे का भी आबंटन नहीं किया गया। ये सभी चुनावों से पहले की घोषणाएं थीं। ये लोग असल में लोगों के लिये क्या सोचते हैं; इसकी हकीकत का पता इस तथ्य से चल ही जाता है। ग्रामीण विकास के मामले में एनडीए सरकार ने कितना खर्चा किया और उसकी कारगुजारी कैसी रही उसकी तथ्यात्मक रिपोर्ट क्या कहती है? इसमें रोजगारों का सश्जन किये जाने से सम्बन्धित सभी कार्यक्रम, विशेष क्षेत्रों सम्बन्धी कार्यक्रम, ग्रामोद्योग, सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण जैसे कार्यक्रम शामिल हैं। यह ग्रामीण अर्थ व्यवस्था को लगातार लूटने तथा उस पर डाका डालने और गांवों में रहने वाले गरीब लोगों को सकल घरेलू उत्पाद में से उनके उचित भाग से वंचित रखे जाने की कहानी है। ग्रामीण विकास पर 1985–90 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद का 14.5 प्रतिशत भाग खर्च किया जाता था; 1990 के दशक के शुरूआती दौर में इसमें गिरावट आ गई और यह मात्र 8 प्रतिशत रह गया; 1998 के बाद के वर्षों में ग्रामीण विकास के लिये सकल घरेलू उत्पाद का भाग और कम होकर 6 प्रतिशत रह गया और पिछले कुछ वर्षो से यह 5 प्रतिशत से भी कम हो चुका है। इसका अर्थ है, असल अर्थों में "सुधार से पहले के वर्षो की तुलना में एक अनुपात के अनुसार ग्रामीण विकास पर होने वाले खर्च में लगभग 30,000 करोड़ रुपये वार्षिक की कटौती की गई। इसका अर्थ है इस कटौती के परिणामस्वरूप कशषि क्षेत्र की आय में 20,000 करोड़ रुपये से लेकर 1,50,000 करोड़ रुपये की गिरावट आई है। ग्रामीण विकास पर होने वाले खर्चे का गला कितनी बेदर्दी के साथ घोंटा जा रहा है; यह जानने के लिये किसी और उदाहरण की जरूरत है क्या? (उत्सा पटनायक)

उपरोक्त स्थिति के परिणामस्वरूप सकल घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में कशषि में सकल पूंजी के गठन में निरंतर कमी आती चली गई है; बड़े सामंतों को हर प्रकार की सुविधाएं एवं छूटें दिये जाने तथा उदारीकरण के सभी कदम उठाए जाने पर भी वर्ष 2001–02 में यह महज 1.3 प्रतिशत रह गई थी। कशषि क्षेत्र के रोजगार वार्षिक वशद्धि दर जो 1983–93 में 1.51 प्रतिशत थी वर्ष 1993–2000 के बीच नीचे सरकती हुई महज –0.34 प्रतिशत पर अटक गई थी। गिरावट का यह रुझान मौजूदा वर्ष में भी चल रहा है। खेतिहर श्रमिकों को वर्ष में मुशकिल से 100 दिनों के लिये काम मिलता है और इस पर भी सरकार के रोजगार सम्बन्धी आंकड़ों में इन्हें रोजगार प्राप्त लोग माना जाता है जबकि ये श्रमिक देहात की काम्काजी जनता की विशाल बहुसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके साथ ही साथ भूमिहीन परिवारों अथवा घरों की प्रतिशतता में भी बढ़ोतरी हुई है; वर्ष 1987–88 में इनकी कुल प्रतिशतता 35 प्रतिशत थी जो 1999–2000 में बढ़ कर 41 प्रतिशत हो गई है।

एनडीए के महारथियों ने विज्ञापनों के माध्यम से दावा किया है कि उनके शासनकाल में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को 15 प्रतिशत से बढ़ा कर 56 प्रतिशत कर दिया गया। किन्तु जब सरकारी खरीद की प्रक्रिया सुस्त हो जाए और कृषि में काम आने वाली सामग्री के दाम यदा कदा बढ़ते चले जाएं तो समर्थन मूल्य में बढोतरी का अर्थ रह ही क्या जाता है; इन महानुभावों ने बड़ी बेशर्मी से काम लेते हुए इस तथ्य को छुपाने की कोशिश की है। उर्वरकों (खाद) के मूल्यों में 50 प्रतिशत से भी अधिक वृद्धि हो चुकी है। डीज़ल और महंगा हो गया है; उसके मूल्यों में 100 प्रतिशत से भी अधिक बढ़ोतरी हो चुकी है और मिट्टी के तेल के दाम तो तीन गुणा से भी अधिक बढ़ चुके हैं।

पिछले पांच वर्षों में बिजली, सिंचाई तथा बीज इत्यादि के मूल्यों में शत प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी हो चुकी है। कृषकों की बहुसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाले मंझौले तथा सीमांतक किसानों के मामले में ये लागतें कमर तोड़ देने वाली हैं। ये सेवाएं प्रदान करने के बदले में बड़े सामंतों की ओर से भारी भरकम पैसे वसूल किये जाते हैं। सरकार की ओर से एमएसपी में जो तथाकथित बढ़ोतरी की गई है, उसका बड़ा हिस्सा तो यही लोग लूट कर ले जाते हैं।

एनडीए शासन के पिछले पांच सालों के दौरान गांवों के गरीबों को जमकर लूटा गया है; उनके यहां डाका डाला गया है और उनका खून चूसा गया है। और अब क्या हो रहा है; चुनाव सिर पर आ जाने के कारण इन महानुभावों की ओर से लम्बी चौड़ी घोषणाएं की जाने लगी हैं; ऐसी घोषणाएं जिनका कोई अर्थ ही नहीं; और ये घोषणाएं महज बयानबाजी बन कर रह गई हैं।

भूखे गरीबों के लिये खाना

प्रधानमंत्री ने बड़े जोरशोर से अंत्योदय अन्न योजना (एएवाइ) को और व्यापक बनाने की घोषणा की थी; उन्होंने कहा था कि गांवों में रहने वाले और 50 लाख गरीब परिवारों को इस योजना में शामिल किया जाएगा; वर्तमान में 150 लाख गांवों में रहने वाले भूखे लोगों को इस योजना के अन्तर्गत लाया गया है। उन्हें सीमित मात्रा में चावल 2 रुपये प्रति किलो तथा गेहूं 3 रुपये प्रति किलो की दर से सुलभ कराया जाता है।

इस योजना के लिये केवल 2000 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है। जहां 35 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे रहते हों वहां इतनी अल्प राशि का आबंटन करना और वह भी केवल छोटी सी संख्या के लिये अर्थहीन होकर रह जाता है; क्या इसका कोई तुक है?

एक बार फिर कहेंगे, जमीनी स्तर पर तथ्य कौन सी कहानी कहते हैं; ये तथ्य एनडीए कुशासन के दौरान हुई दुर्दशा का वर्णन करने के लिये काफी हैं। एक बार फिर कहेंगे कि यह कहानी भूखे लोगों को लूटे जाने की दर्दनाक कहानी है; उनके कटोरे में बाकी कुछ रह न जाए, इसका पूरा ख्याल रखा गया है। अनाजों की प्रति व्यक्ति खपत 1997–98 में 174.2 किलोग्राम प्रति वर्ष थी; सूखे से पहले के वर्ष 2000–01 में यह खपत कम होकर केवल 151.06 किलोग्राम रह गई थी; सूखे के बाद के वर्ष 2002–03 में यह खपत 156.55 किलोग्राम रही अर्थात् उसमें मामूली बढ़ोतरी हुई। ग्रामीण लोगों को कम से कम कितनी कैलोरी नसीब होती हैं, यदि आप यह जानने का प्रयास करेंगे तो आपको हालत बहुत शोचनीय दिखाई देंगे। खुराक के मामले में 66.6 प्रतिशत से अधिक देहाती लोगों की हालत पोषण की दृष्टि से बेहद खराब है। (उन्हें पोषण के लिये कम से कम 2400 कैलोरीज़ चाहिये, पर उन्हें केवल 2289 कैलोरीज़ ही मिल पाती हैं) खाद्य सुरक्षा पर खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) की वर्ष 2000 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में भूखे पेट सोने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है; 1995–97 में भूखे लोगों की संख्या 19.40 करोड़ थी जो 1999–2001 में बढ़ कर 21.45 करोड़ हो गई। और एनएसएस की ओर से जारी किये गए नवीनतम आंकड़े (जून 2002 में सम्पूर्ण 57वां चक्र) दर्शाते हैं कि ग्रामीण भारत में प्रत्येक 200 घरों में से एक घर के लोग रात को भूखे पेट सोते हैं और शहरों में रहने वाले प्रति हजार परिवारों में से एक परिवार भूख की पुरानी बीमारी से पीड़ित है। एक अनुमान के अनुसार पिछले पांच वर्षों में कम से कम 16000 किसानों की ओर से आत्महत्याएं की गई हैं। (देवेन्द्र शर्मा, फरवरी 2004)। वर्ष 2002 में ही आंध्र प्रदेश में 2580 लोगों ने जहरीले कीटनाशकों का सेवन करके आत्महत्याएं कर लीं थीं (द हिन्दू, 6–01–2003); और कर्नाटक में कमरतोड़ कर्ज की मार से तंग आकर अप्रैल–सितम्बर 2003 के दौरान 276 लोगों ने आत्महत्याएं कर ली; उन अभागों की फसलें बर्बाद हो गई थीं तथा वे भूख से पीड़ित थे। 'फील गुड' के लिये कितनी शानदार स्थिति है यह!

अन्तयोजय अन्न योजना के लिये भले ही अत्यंत अल्प राशि का आबंटन किया गया है किन्तु वह भी तो जनता के लक्ष्य समूह तक पहुंच नहीं पाती। देश के अधिकांश राज्यों में ग्रामीण समाज के प्रबंधन की स्थिति ऐसी ही है। इस योजना को लागू करने वाले अभिकरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा उचित मूल्य दर की दुकानें हैं। ये अभिकरण काम कैसे करते हैं, इसके बारे में किसी संदेह की गुंजाइश नहीं है; वह भी उस सरकार के अन्तर्गत जिसका उद्देश्य ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विनाश करना हो?

ग्रामीण विकास के बारे में राष्ट्रीय संस्थान (एनआइआरडी) की ओर से कराए गए एक अध्ययन से पता चलता है कि तमिलनाडु, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र में गरीबी की रेखा के नीचे जीवन व्यतीत करने वाले लोगों की कुल संख्या के लिये आबंटित चावल के 20–25 प्रतिशत भाग और गरीबी की रेखा के ऊपर के राशन कार्ड धारकों के लिये आबंटित चावल के 50 प्रतिशत भाग को उचित मूल्य दर की दुकानों के स्तर पर ही किसी दूसरे काम में लगा दिया गया; दूसरे शब्दों में उस पर हाथ साफ कर लिया गया। अध्ययन के अनुसार मध्य प्रदेश में गरीबी के रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के लिये आबंटित गेहूं के 50 प्रतिशत भाग को किसी और 'काम' में लगा दिया गया। महाराष्ट्र में भी 50 प्रतिशत से अधिक आबंटित गेहूं इन लोगों के पास पहुंचा ही नहीं था। (बिजनस लाइन, 04–02–2003)।

खाद्य सब्सिडी देने के उद्देश्य से 27000 करोड़

रुपये खर्च किये गए हैं; यह दावा इस वक्त की सरकार की ओर से चीख–चीख कर किया जा रहा है। इसकी असल कहानी क्या है? खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय की स्थायी संसदीय समिति के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव जिन्होंने 1997 में खाद्य मंत्री के रूप में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिये लक्ष्य का निर्धारण किया था, ने कहा, ''27000 करोड़ रुपये की खाद्य सब्सिडी का पैंसठ प्रतिशत भाग नौकरशाहों के वेतनों का भुगतान करने, प्रतिष्ठान के खर्चों की भरपाई करने, भण्डारण, व्यापारियों तथा निर्यातकों पर खर्च करने के काम आ गया। बाकी बचा 35 प्रतिशत किसी और काम से खर्च हो गया या दूसरे ढंगों से उस पर हाथ साफ कर लिया गया।'' (टाइम्स आफ इंडिया, 31–12–2003) एक गैर सरकारी संगठन 'परिवर्तन' की ओर से पूर्वी दिल्ली में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों तथा गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों पर एक सर्वेक्षण कराया गया था; उस सर्वेक्षण के अनुसार 70 प्रतिशत से अधिक अनाज उन लोगों तक पहुंचता ही नहीं जो अत्याधिक गरीब हैं। 'परिवर्तन' की ओर पूर्वी दिल्ली के सीलम पुर इलाके के नजदीक वैलकम कालोनी में जाकर 160 परिवारों का सर्वेक्षण कराया गया था। सर्वेक्षण की रिपोर्ट से पता चलता है कि ''एक भी परिवार को पूरी मात्रा में अनाज नहीं मिला। केवल 23 प्रतिशत लोगों को थोड़ा बहुत राशन मिला; वह भी निर्धारित मात्रा से कम था और उसके लिये अधिक दाम वसूल किये गए।'' (टाइम्स आफ इंडिया, 31–12–2003)

इस अंत्योदय योजना का आने वाले समय में क्या हाल होने जा रहा है? इसकी कल्पना करना कठिन नहीं है। कहने को तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले गरीबों को 2 रुपये प्रति किलो चावल तथा 3 रुपये प्रति किलो गेहूं उपलब्ध कराया जाता है पर उसका बहुत बड़ा भाग इन लोगों तक पहुंचता ही नहीं; यह उपहार इन गरीब लोगों के घरों में जाने की बजाए बेशर्म व्यापारियों की जेबों में चला जाता है; ये महानुभाव सब्सिडी वाले इस अनाज को खुले बाजार में 10 रुपये प्रति किलो और या फिर विदेशी बाजार में 5 रुपये प्रति किलो बेच कर अपनी जेबें लबालब भरते चले जा रहे हैं। गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के घरों में जाने के स्थान पर यह अनाज कहीं और अर्थात् व्यापारियों की दुकानों में चला गया। बीपीएल के ये पत्ते धन्ना सेठों के यहां गिरवी रखे जा चुके हैं। अधिकांश राज्यों में यही स्थिति बनी हुई है। इसका खुशनुमा अहसास निश्चित तौर पर व्यापारियों तथा उचित मूल्य दर दुकानों के मालिकों को ही होगा; वे लोग ही एनडीए सरकार की घोषणाओं का स्वागत करेंगे, जन साधारण नहीं जबकि ये योजनाएं उसी के लिये बनाई गई थीं। ये घोषणाएं अमल करने के लिये नहीं बनाई गई बल्कि मच्छली (वोट) पकड़ने के लिये बनाई जाती हैं!

इराक पर कब्जे की पहली बरसी पर देश भर में प्रदर्शन

जार्ज बुश–टोनी ब्लेयर जुंडली की ओर से इराक पर अपना कब्जा पिछले एक वर्ष से लगातार जारी रखे जाने के खिलाफ 20 मार्च, 2004 को देश भर में जोरदार प्रदर्शनों एवं रैलियों का आयोजन किया गया।

इराक पर हमले तथा कब्जे की यह पहली बरसी थी। विश्व भर के जनवादी एवं शांति कामी लोगों की ओर से इसके खिलाफ अपने जोरदार विरोध की अभिव्यक्ति की गई है। यह अभिव्यक्ति इराक पर हमला होने से पहले भी की गई थी। इस दिन मांग की गई कि इराक पर कब्जा करने वाली ताकतें तत्काल वहां से निकल जाएं। किन्तु हठी एवं ताकत के मद में चूर ये साम्राज्यवादी ताकतें लोगों की इन भावनाओं का सम्मान करती हों; ऐसा कैसे हो सकता है? यही कारण है कि वे वहां पूरी तरह डटी हुई हैं। उनकी ओर से यह अपराध लगातार किया जा रहा है।

दिल्ली में वामपक्षी राजनीतिक दलों, श्रमिक संगठनों तथा दूसरे जनवादी जन संगठनों की ओर से कस्तूरबा गांधी मार्ग पर स्थित अमरीका के सूचना एवं संस्कशति कार्यालय के सामने जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर एक प्रस्ताव पारित करके इराक पर विदेशी सेनाओं का कब्जा तत्काल समाप्त करने तथा वहां एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना करने की मांग की गई। सहमत की ओर से एक नुक्कड़ नाटक खेला गया। कोलकाता में वामपक्षी एवं जनवादी राजनीतिक दलों की ओर से एक विशाल प्रदर्शन एवं रैली का आयोजन किया गया।

देश भर में वामपक्षी दलों, श्रमिक संगठनों तथा दूसरे जन संगठनों की ओर से अनेक प्रदर्शनों एवं विरोध सभाओं का आयोजन किया गया। सीआइटीयू की ओर से विरोध की इन कार्रवाईयों के आयोजन में अग्रणी भूमिका निभाई गई। विश्व भर में उस दिन विशाल विरोध प्रदर्शन हुए।

उमा राज के सौ दिन

सरला माहेश्वरी

तुलसी ने रामचरित मानस के उत्तरकांड में कलयुग के पीतवसनधारी कुटिल संतों के बारे में काफी कुछ लिखा है। ये हमेशा डींगें हांकने वाले (पंडित सोई जो गाल बजावा) सर मुडा कर संन्यासी बन जाने वाले (मूड़ मुड़ाइ होहि संन्यासी) ऐसे दंभी संत होते हैं, जो अपने हाथ से दोनों लोकों को नाश करते हैं (उभय लोक निज हाथ नसावहिं)। मध्यप्रदेश की पहली सन्यासिन मुख्यमंत्री उमा भारती के शासन के पहले सौ दिन देख लीजिये-तुलसीदास की कही एक-एक बात आपको सही दिखाई देने लगेगी।

उमा भारती सत्ता पर आयी थी राम राज्य का वादा करके। ''दैहिक दैविक भौतिक तापा। राम राज नहीं काहुहिं व्यापा।'' का सपना देकर, बिजली, सड़क, पानी की समस्या के समाधान की प्रतिज्ञा करके। उन्होंने 100 दिनों, 200 दिनों और साल, दो साल के अपने 'समयवद्ध' विकास-कार्यक्रमों को लेकर कम गाल नहीं बजाये थे। लेकिन अब 100 दिनों बाद क्या दिखाई दे रहा है ?

बिजली, सड़क, पानी की बातें तो अब दूर की बात बना कर छोड़ दी गयी है। जो तत्काल किया गया है, वह किसी भी राजसी संत के कोरे आडंबर और अहंकार के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। राम राज के गायक तुलसी कहते थे: ''सबतैं अधिक मनुज मोहे भाएं'', लेकिन उमा भारती ने दिखा दिया है कि मनुष्य उनकी अंतिम प्राथमिकता है। उनकी पहली और सर्वप्रमुख प्राथमिकता धार्मिक आडंबर भर है, जिनके जरिये वे सस्ते में भारत की धर्म-भीरू जनता को बहकाकर बाजी मात करना चाहती है। उन्होंने आदमी की नहीं, गऊ को अपनी कृपा का पात्र बनाया; एक ऐसे निरीह, मूक और हिंदू मन के अतिप्रिय पशु को जो सत्ता के किसी भी विचार-अविचार पर कभी कोई टिप्पणी नहीं कर सकता है। गाय को पवित्र घोषित किया, गौशालाओं के वादे किये, गोवध पर रोक लगाई, गायों की चराई के लिये पूरे प्रदेश को खोल देने की तरह का ढोंग रचाया। कहते हैं कि उमा भारती के लिये रोजाना उनके अफसरान किसी गाय को पकड़ कर लाते हैं जिसे वे सुबह-सुबह रोटी खिला कर अपने दिन की शुरूआत करती है, और उन्होंने ठान रखा है कि हफ्ते में एक निश्चित दिन वे काली गाय को रोटी खिलायेगी इसलिये उस दिन तो उनके अफसरों को, वे भले किसी भी शहर में क्यों न हो, काली गाय खोज कर लानी पड़ती है।

मनुस्मृति में गाय को किसी भी अधम प्राणी, जैसे शूद्रों से अधिक पवित्र बताया गया है। इसलिए गांव के दलितों को भूमि मिले या न मिले, उमाजी की पहली प्राथमिकता गायों की चरवाही के लिए जमीन जुटाने की है। उमाजी अपने इस गऊ-प्रेम के पीछे मनु-स्मृति की प्रेरणा की बात बिना झिझक कहती हैं और इस प्रकार प्रकारांतर से वे समाज के दलितों, वंचितों के प्रति अपनी भावनाओं को भी साफ प्रकट कर दे रही हैं।

मध्य प्रदेश शासन के इन सौ दिनों में इसी प्रकार का दूसरा आडंबरपूर्ण काम किया गया है पवित्र नगरों की घोषणा का। अब तक अमरकंटक, महेश्वर और उज्जैन शहरों को पवित्र शहर घोषित कर दिया गया है। मांस-मदिरा प्रतिबंधित कर दिये गये हैं। इस घोषणा से और कुछ भी क्यों न हो, आम लोगों की जिंदगी किसी भी रूप में आसान अथवा समृद्ध नहीं होगी। उल्टे सात्विकता को प्रोत्साहन के नाम पर समाज के कुछ खास, उनमें भी विशेष तौर पर गरीब तबकों की खान-पान की आदतों पर हमला किया गया है। यह दलितों और अल्पसंख्यकों को उनकी औकात समझा कर हर लिहाज से पराजित करने के संघ परिवार के हिंदुत्व के कार्यक्रम का एक हिस्सा भर है। सब जानते हैं कि अमरकंटक के इलाके में वैंगा और गौंड आदिवासी समुदाय रहते हैं। शिकार और वनोपज ही उनकी जीविका के आधार हैं। मांस, मछली और महुआ उनकी जिंदगी का हिस्सा है। इसी तरह महेश्वर में मुसलमान बुनकर बड़ी संख्या में रहते हैं। तुलसी का राम शबरी के झूठे बेर खाता है, उमा का राज शबरी से उसका भोजन छुड़वाता है। गरीबों के 'दैहिक, दैविक और भौतिक तापों' के हरण का कितना अनोखा राम-राजी नुस्खा है यह!

तुलसी राम राज का चित्र खींचते हुए कहते हैं - ''सब नर करहिं परस्पर प्रीती। चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति॥'' उमा राज में परस्पर प्रीती या निज धर्म पर चलने की कोई छूट नहीं है। जिस चीज को सबसे ज्यादा उत्साह के साथ इस बीच किया गया है वह है विचारों की स्वतंत्रता का हनन। विरोधी विचारों की पुस्तकों की बिक्री में बाधाएं डाली जा रही हैं। मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी के सचिव पूर्णचंद रथ को इसलिए निकाल बाहर कर दिया गया क्योंकि वे एक स्वतंत्र-चेता साहित्यकार हैं। इसी आधार पर भारत भवन के डिप्टी डायरेक्टर को भी हटा दिया गया है। एक ऐसे सख्स को प्रदेश का संस्कृति मंत्री बनाया गया है जो भारतीय शास्त्रीय संगीत की दुनिया की किंवदंती बन चुके परम आदरणीय उस्ताद अलाउद्दीन खान की तौहीन करने से भी बाज नहीं आता और उन्हें बंगलादेशी कह कर उनके नाम पर बनी संगीत अकादमी का नया नामकरण करने के लिए उद्धत है। हिंदी के सर्वप्रिय कवि शिवमंगल सिंह सुमन के नाम के अस्पताल का नाम बदलकर संघ प्रचारक कुशाभाउ ठाकरे के नाम पर करने की बात की जा रही है!

जहां तक विकास के उन मुद्दों का सवाल है, जिनके बारे में कसमें खाकर उमा भारती सत्ता में आयी थी, उनके पास अब तक भी उनके बारे में सिर्फ वादे ही वादे हैं, किया हुआ कुछ भी ऐसा नहीं है, जिसका जिक्र किया जा सके। कहना न होगा कि इस राजसी संन्यासिन का पूरा कार्यकाल ऐसे ही पाखंडों और धूर्तताओं से भरे कार्यकाल के अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए तो उन्होंने कई खास-खास संघी प्रचारकों को अपने सलाहकारों के तौर पर नियुक्त किया है।

निदा फ़ाज़ली

निदा फ़ाज़ली भारत के धर्मनिरपेक्ष शायरों में गिने जाते हैं। अपनी ग़ज़लों, गीतों, दोहों और नज़्मों के लिए मशहूर हैं और कई संकलन संपादित और प्रकाशित कर चुके हैं। आज के भयावह सांप्रदायिक फासीवाद के दौर में उनकी शायरी और भी ज़्यादा बामायने हो गयी है। पेश है एक ताज़ी नज़्म :

मुर्दाघर

सारी लाशें एक सी थीं
वो ही आंखें
मेरे जैसी
वो ही टांगें
तेरी जैसी
सारे बच्चे बच्चों जैसे
सारे बूढ़े बूढ़ों जैसे
सारी लाशें चुप थीं लेकिन
मुर्दाघर के चारों जानिब
शोरगुल था
मौत के सौदागरों का
ज़िन्दगी के दुश्मनों का
मज़हबों का, सरहदों का
चोटियों में
दाढ़ियों में
बिन्दिया में
नाक से नीचे की नंगी झाड़ियों में
जिन्दगी को जिस तरह
टुकड़ों में बांटा जा रहा था
मौत को भी
जात और धर्मों से छांटा जा रहा था
कौन किसका
किसके कितने
ग़म तो ग़म है
केसरी क्या और हरा क्या
मेरे मातम में, वहां जितने भी थे
इन्सान थे वो
टूटा-फूटा मेरा हिन्दुस्तान थे वो....

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिये
सामाजिक सुरक्षा योजना: यह फ्राड क्यों है?

क्योंकि

< यह योजना देश के 50 जिलों में रहने वाले केवल 25 लाख लोगों के लिये बनाई गई है, 37 करोड़ लोगों के लिये नहीं जैसा कि सरकार की ओर से दावा किया जा रहा है।

< यह एक पायलट योजना है जो पांच वर्षों के लिये होगी। उसके बाद वित्त एवं श्रम मंत्रालयों के द्वारा संयुक्त रूप से इसकी समीक्षा की जाएगी। यह असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिये विधेयक लाकर बनाई गई एक पूर्ण योजना नहीं है।

< यह एक ऐसी योजना है जिसके लिये कोष ही नहीं रखा गया; यद्यपि दावा तो कुछ ऐसा ही किया गया है कि इसके लिये पूरा कोष उपलब्ध कराया जाएगा।

< इस योजना के लिये धन असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, उन मालिकों जिनकी पहचान की जा चुकी होगी की ओर से लगाया जाएगा; सरकार भी उसमें अपना मामूली हिस्सा डालेगी। इसके अनुसार 1800 रुपये का न्यूनतम वेतन पाने वाले श्रमिक को उस स्थिति में इसके लिये प्रति मास 50 रुपये और यदि मालिक की पहचान नहीं होती तो 100 रुपये प्रति मास और सरकार को 19 रुपये प्रति मास का अंशदान देना होगा।

< असंगठित क्षेत्र में 70 प्रतिशत मालिकों अथवा सेवा योजकों की पहचान नहीं होती; इसलिये 18–35 वर्ष की आयु वर्ग के श्रमिकों को 100 रुपये का अंशदान प्रति मास देना होगा; 35 वर्ष से अधिक आयु के श्रमिकों को 200 रुपये प्रति मास का अंशदान देना होगा।

< 500 रुपये प्रति मास पेन्शन केवल उन्हीं श्रमिकों को मिलेगी जिन्होंने 30 वर्ष तक नियमित रूप अपना पूरा अंशदान दिया होगा। असंगठित क्षेत्र विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले कितने श्रमिकों को एक वर्ष में 100 से 120 दिनों तक रोजगार मिलता है?

< इस योजना का मूल ढांचा केवल 25 लाख श्रमिकों के लिये बनाया गया है; इस मूल ढांचे के भीतर भी असंगठित क्षेत्र के अधिकांश श्रमिक स्व–अंशदायी पेन्शन योजना के लिये पूरा समय तक अंशदान नहीं दे पाएंगे।

< इस योजना की अधिसूचना अभी तक जारी नहीं की गई; राज्य सरकारों को इसमें शामिल नहीं किया गया है; किन्तु इस योजना के फार्म भाजपा तथा उसके सहयोगी दलों के कार्यालयों से वितरित किये जा रहे हैं। निजी क्षेत्र के कुछ लोग भी इस काम में लगे हैं जिन्हें 'फसिलिटेटर' अथवा 'फिलर्स' कहा जाता है; ये लोग श्रमिकों से पैसे इकट्ठे करेंगे। इस चक्कर में श्रमिकों का पैसा डूब भी सकता है; यह बात स्पष्ट हो जानी चाहिये।

< कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सदस्यों अथवा अंशदाताओं की संख्या वर्तमान में 3.20 लाख है; इन लोगों के लिये भी संगठन के पास जरूरी अंदरूनी ढांचा नहीं है। सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों में काम करने वाले श्रमिकों की 1000 करोड़ रुपये की भविष्य निधि राशि बकाया पड़ी है; निजी क्षेत्र की तो बात ही जाने दीजिये। वहां तो सेवा योजकों से हजारों करोड़ों रुपयों की राशि वसूली ही नहीं गई है। इस हालत में 37 करोड़ श्रमिकों को उनकी राशि का भुगतान हो; इसे यकीनी कैसे बनाया जाएगा जबकि वहां 70 प्रतिशत मालिकों की पहचान ही नहीं हो सकी और 30 प्रतिशत के यहां प्रवासी श्रमिक काम करते हैं जिनके सेवा योजक अकसर बदलते रहते हैं।

< यह योजना चुनावों को ध्यान में रख कर बनाई गई है; इस पर अच्छी तरह विचार नहीं किया गया। यह देश के मेहनतकश अवाम तथा खास तौर पर उनकी वंचित श्रेणियों के साथ एक भद्दा मजाक ही तो है। यह भ्रष्टाचार तथा धोखाधड़ी का मामला भी है।

के. हेमलता द्वारा आल इंडिया फेडरेशन ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हैल्पर्स के लिए, ए–13, राऊज एवेन्यू नई दिल्ली–2 से संपादित एवं प्रोग्रेसिव प्रिंटर्स, ए–21, जी. टी. रोड, शाहदरा, दिल्ली से मुद्रित